



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 8, 2014/आषाढ़ 17, 1936

No. 349]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 8, 2014/ASADHA 17, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 30 जून, 2014

**विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा
प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (नौवाँ संशोधन) विनियमावली, 2014**

सा.का.नि. 436(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी) (इसके आगे 'मूल विनियमावली' के रूप में उल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (नौवाँ संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे।
- (ii) इनके संबंध में यह समझा जाएगा कि वे इस अधिसूचना की तारीख से लागू हुए हैं।

2. विनियम 2 में संशोधन

मूल विनियमावली में, विनियम 2 में,

(ए) खंड (ii) में, अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात:-

"स्पष्टीकरण(*explanation*) : कंपनी अधिनियम के उपबंधों, यथा लागू, के अनुसार जारी ईक्विटी शेयरों में अंशत (partly) प्रदत्त ईक्विटी शेयर शामिल होंगे। अधिमानी शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर पूर्ण प्रदत्त, आधिदेशात्मक रूप से और पूर्णतः परिवर्तनीय होने अपेक्षित हैं।"

(बी) खंड (xiए) के बाद निम्नलिखित नया खंड अंतर्निहित किया जाएगा, अर्थातः

"(xiबी) कंपनी अधिनियम के उपबंधों, यथा लागू, के अनुसार भारतीय कंपनी द्वारा जारी 'वारंट' में शेयर वारंट शामिल हैं। ऐसे वारंट फेमा, 1999 की धारा 2(जेडए) के अर्थों में प्रतिभूति समझे जाएंगे।"

3. विनियम 5 में संशोधन

मूल विनियमावली में, विनियम 5 में, उपविनियम (1) में,

(i) (ए). खंड (i) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः

"भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति (पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक के अलावा) या भारत से बाहर निगमित कोई एंटीटी (पाकिस्तान या बांग्लादेश की किसी एंटीटी के अलावा) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत, किसी भारतीय कंपनी के शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट खरीद सकता है/सकती है।

स्पष्टीकरण: ऑप्शनैलिटी उपबंध वाले शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर, जिनमें किसी आश्वासित कीमत पर निवेश से बाहर जाने का विकल्प/अधिकार न हो, किसी भारतीय कंपनी द्वारा भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत जारी पात्र लिखित माने जाएंगे।

(बी) खंड (ii) और (iii) में, "शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर" शब्दों को "शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) उपविनियम (2) में, "शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर" शब्द "शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट" शब्दों से प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. विनियम 6बी में संशोधन

(i) मूल विनियमावली में, विनियम 6बी में, "राइट्स शेयर अथवा बोनस शेयर" शब्दों को "राइट्स शेयर अथवा बोनस शेयर अथवा वारंट" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. नया विनियम अंतर्निहित करना

मूल विनियमावली में, विनियम 6बी के बाद, निम्नलिखित अंतर्निहित किया जाएगा, अर्थातः

"6सी. वारंटों का अर्जन

कोई भारतीय कंपनी, इस बाबत, समय-समय पर, रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को वारंट जारी कर सकती है।"

6. विनियम 9 में संशोधन

मूल विनियमावली में, विनियम 9 में, "शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर", "शेयर अथवा डिबेंचर" और "शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर" शब्दों को "शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. विनियम 10 में संशोधन

(A) मूल विनियमावली में, विनियम 10ए में,

(ए) उपविनियम (ए) में, खंड (iii) में,

(i) मौजूदा उप-खंड 'एफ' के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

"शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट के मामले में ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य का निर्धारण, समय-समय पर, रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार होने के संबंध में किसी सनदी लेखाकर अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत मर्चेन्ट बैंकर का प्रमाणपत्र।"

(ii) मौजूदा उप-खंड 'जी' में, "शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर", "शेयर अथवा डिबेंचर" और "शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर" शब्दों को "शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) मौजूदा उप-खंड 'जी' के बाद, निम्नलिखित अंतर्निहित किया जाएगा, अर्थात:

"एच. अंशतः प्रदत्त शेयर अथवा वारंट स्वीकार-कर्ता (donee) से इस आशय का एक घोषणा पत्र कि स्वीकार-कर्ता (donee) बकाया मांग (calls) और तत्संबंधी आहूत की जाने वाली देयता से अवगत है।"

(बी) उप विनियम (बी), (सी) और (डी) में "शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर" शब्दों को "शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(B) मूल विनियमावली में, विनियम 10बी और 10सी में, "शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर" और "शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर" शब्द जहां कहीं भी दिखाई देते हैं, वे "शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट" शब्दों से प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

8. अनुसूची 1 में संशोधन

मूल विनियमावली में, अनुसूची 1 में,

(ए) शीर्षक में "इक्विटी/अधिमानी/परिवर्तनीय अधिमानी शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर" शब्दों को "शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(बी) "शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर" और "शेयर" शब्द जहां कहीं भी (ए) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (1), पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (1), (2), (3), पैराग्राफ 10 के उप-पैराग्राफ (i) और (iv) में दिखाई देते हैं, वे "शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट" शब्दों से प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(सी) मौजूदा पैराग्राफ 8 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

"8 भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को जारी शेयरों के लिए भुगतान का तरीका

भारत स्थित कोई कंपनी जो इस अनुसूची के अंतर्गत भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट जारी करती है, वह शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट के लिए प्रतिफल राशि निम्नवत प्राप्त करेगी-

(i) सामान्य बैंकिंग चैनल से आवक विप्रेषण द्वारा, अथवा

(ii) प्राधिकृत व्यापारी/प्राधिकृत बैंक के पास संबंधित व्यक्ति द्वारा रखे गए एनआरई/ एफसीएनआर (बी) खाते को नामे करके, अथवा

(iii) विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 के अनुसार भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक के पास रखे गए ब्याज रहित एस्करो खाते (भारतीय रुपये में) को नामे करके,

स्पष्टीकरण: रॉयल्टी का परिवर्तन/भुगतान के लिए देय एकमुश्त शुल्क अथवा बाह्य वाणियजिक उधार (ईसीबी) का परिवर्तन, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में इकाईयों द्वारा पूंजीगत माल का आयात, जैसाकि अनुसूची में अन्यत्र दिया गया है, इस पैराग्राफ के अर्थ में शेयर निर्गम के लिए प्रतिफल के रूप में माना (treated) जाएगा।

बशर्ते कि आवक विप्रेषण अथवा एनआरई/एफसीएनआर(बी)/एस्करो खाते को नामे करके शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा वारंटों को जारी करने के लिए प्रतिफल राशि की प्राप्ति की तारीख से 180 दिनों के भीतर यदि वे जारी नहीं हो पाते हैं, तो प्राप्त प्रतिफल राशि संबंधित व्यक्ति को सामान्य बैंकिंग चैनल से जावक विप्रेषण द्वारा अथवा एनआरई/एफसीएनआर (बी) खाते में जमा करके, जैसा भी मामला हो, वापस की जाए;

बशर्ते यह भी कि यदि किसी भारतीय कंपनी द्वारा प्रतिफल राशि की प्राप्ति से 180 दिनों के बाद भी प्रतिभूति जारी करने के लिए प्राप्त प्रतिफल राशि बकाया रहती है, तो आवेदन करने पर रिजर्व बैंक उचित कारणों के होने पर तत्संबंध में अनुमति प्रदान कर सकता है।

स्पष्टीकरण: अंशतः प्रदत्त ईक्विटी शेयरों के मामले में 180 दिन की अवधि प्रत्येक मांग भुगतान (call payment) की प्राप्ति की तारीख से गिनी जाएगी।"

(डी) पैराग्राफ 9 में,

- i. उप पैराग्राफ (1) में और खंड (ए) में, "शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर" शब्दों को "शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- ii. मौजूदा संलग्नक 'सी' हटाया जाएगा;
- iii. उप पैराग्राफ (1) में, खंड (ए) में "इस अनुसूची के संलग्नक 'सी' में विनिर्दिष्ट फॉर्म में एक रिपोर्ट" शब्दों को "समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट एडवांस रिपोर्टिंग फॉर्म में" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- iv. उप पैराग्राफ (1) में खंड (ए) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थातः

स्पष्टीकरण: अंशतः प्रदत्त ईक्विटी शेयर करने वाली भारतीय कंपनी, प्रत्येक मांग भुगतान की तारीख से 30 दिनों में या तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

- v. उप पैराग्राफ (B) में, "शेयर जारी करने की तारीख" शब्दों को "शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट" जारी करने की तारीख" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- vi. उप पैराग्राफ (B) में, परंतुक के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थातः

"स्पष्टीकरण: अंशतः प्रदत्त शेयर जारी करने वाली भारतीय कंपनी शेयरों के प्रदत्त होने की सीमा तक के लिए फॉर्म एफसी-जीपीआर में रिपोर्ट फाइल करेगी।"

9. अनुसूची 2 में संशोधन

मूल विनियमावली में, अनुसूची 2 में, "शेयर और/अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर", "शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर", "शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचर", "शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचर" जहां कहीं भी दिखाई देते हैं, वे "शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट" शब्दों से प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

10° अनुसूची 2ए में संशोधन

मूल विनियमावली में, अनुसूची 2ए में, "शेयर और/अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर", "शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर", "शेयर/डिबेंचर", "शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचर" जहां कहीं भी दिखाई देते हैं, वे "शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट" शब्दों से प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

11. अनुसूची 4 में संशोधन

मूल विनियमावली में, अनुसूची 4 में, "शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचर", "शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर" जहां कहीं भी दिखाई देते हैं, वे "शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट" शब्दों से प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. फेमा 308/2014-आरबी]

सी. डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :-मूल विनियमावली 8 मई 2000 के सा.का.नि. सं. 406 (अ) द्वारा सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खण्ड (i) में प्रकाशित और बाद में निम्नानुसार संशोधित की गयी:-

- सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001
- सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001
- सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001
- सा.का.नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002
- सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002
- सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003
- सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003
- सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003
- सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003
- सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003
- सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004
- सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004
- सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004
- सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004
- सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004
- सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005
- सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005
- सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005
- सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005

सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005
सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005
सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006
सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006
सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007
सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007
सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007
सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008
सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008
सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009
सा.का.नि. सं. 341 (अ) दिनांक 21.04.2010
सा.का.नि. सं. 821 (अ) दिनांक 10.11.2012
सा.का.नि. सं. 606 (अ) दिनांक 03.08.2012
जीएसआर नं. 795 (अ) दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 797 (अ) दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 945 (अ) दिनांक 31.12.2012
सा.का.नि. सं. 946 (अ) दिनांक 31.12.2012
सा.का.नि. सं. 38 (अ) दिनांक 22.01.2013
सा.का.नि. सं. 515 (अ) दिनांक 30.07.2013
सा.का.नि. सं. 532 (अ) दिनांक 05.08.2013
सा.का.नि. सं. 341 (अ) दिनांक 28.05.2013
सा.का.नि. सं. 344 (अ) दिनांक 29.05.2013
सा.का.नि. सं. 195 (अ) दिनांक 01.04.2013
जीएसआर नं. 393 (अ) दिनांक 21.06.2013
सा.का.नि. सं. 591 (अ) दिनांक 04.09.2013
सा.का.नि. सं. 596 (अ) दिनांक 06.09.2013
सा.का.नि. सं. 597 (अ) दिनांक 06.09.2013
सा.का.नि. सं. 681 (अ) दिनांक 11.10.2013

- सा.का.नि. सं. 682 (अ) दिनांक 11.10.2013
 सा.का.नि. सं. 805 (अ) दिनांक 30.12.2013
 सा.का.नि. सं. 818 (अ) दिनांक 31.12.2013
 सा.का.नि. सं. 683 (अ) दिनांक 11.10.2013
 सा.का.नि. सं. 189 (अ) दिनांक 19.03.2014
 सा.का.नि. सं. 190 (अ) दिनांक 19.03.2014
 सा.का.नि. सं. 270 (अ) दिनांक 07.04.2014
 सा.का.नि. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014
 सा.का.नि. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
 (CENTRAL OFFICE)
NOTIFICATION

Mumbai, the 30th June, 2014

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Ninth Amendment) Regulations, 2014

G.S.R. 436(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3rd May, 2000) (hereinafter called “the principal Regulations”) namely:-

1. Short Title & Commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Ninth Amendment) Regulations, 2014.
 (ii) They shall be deemed to have come into force from the date of the notification.

2. Amendment to Regulation 2

In the principal Regulations, in Regulation 2,

- (a) In clause (ii), at the end the following shall be added, namely:—

“*Explanation:* The equity shares issued in accordance with the provisions of the Companies Act, as applicable, shall include equity shares that have been partly paid. Preference shares and convertible debentures shall be required to be fully paid, mandatorily and fully convertible.”

- (b) after clause (xia), the following new clause shall be inserted, namely:

“(xib) ‘Warrant’ includes Share Warrant issued by an Indian Company in accordance to provisions of the Companies Act, as applicable. Such warrants shall be treated as security within the meaning of Section 2(z) of FEMA, 1999.”

3. Amendment to Regulation 5

In the principal Regulations, in Regulation 5, in sub-regulation (1),

- (i) (a). for the clause (i), the following shall be substituted, namely:

“A person resident outside India (other than a citizen of Bangladesh or Pakistan) or an entity incorporated outside India (other than an entity in Bangladesh or Pakistan), may purchase shares or convertible debentures or warrants of an Indian company under Foreign Direct Investment Scheme, subject to the terms and conditions specified in Schedule 1.

Explanation: Shares or convertible debentures containing an optionality clause but without any option/right to exit at an assured price shall be reckoned as eligible instruments to be issued to a person resident outside India by an Indian company subject to the terms and conditions as specified in Schedule I.”

(b). in clauses (ii) and (iii), for the words, “shares and convertible debentures” the words, “shares or convertible debentures or warrants” shall be substituted

(ii) in sub-Regulation (2), for the words, “shares or convertible debentures” the words, “shares or convertible debentures or warrants” shall be substituted .

4. Amendment to Regulation 6B

In the principal Regulations, in Regulation 6B, for the words, “right shares or bonus shares” the words, “right shares or bonus shares or warrants” shall be substituted.

5. Insertion of new Regulation

In the principal Regulations, after Regulation 6B, the following shall be inserted, namely:

“6C Acquisition of warrants

An Indian company may issue warrants to a person resident outside India subject to terms and conditions stipulated by the Reserve Bank in this behalf from time to time.”

6. Amendment to Regulation 9

In the principal Regulations, in Regulation 9, for the words, “shares and convertible debentures”, “shares or debentures” and “shares or convertible debentures” the words, “shares or convertible debentures or warrants” shall be substituted accordingly.

7. Amendment to Regulation 10

(A). In the principal Regulations, in Regulation 10A,

(a) in sub-regulation (a), in clause (iii),

(i) for the existing sub-clause ‘f’, the following shall be substituted, namely:

“In case of shares or convertible debentures or warrants, a certificate from a Chartered Accountant or Merchant Banker registered with Securities & Exchange Board of India (SEBI) on the value of such securities according to the pricing guidelines stipulated by the Reserve Bank from time to time.”

(ii) in the existing sub-clause ‘g’, for the words, “shares and convertible debentures”, “shares or debentures” and “shares or convertible debentures” the words “shares or convertible debentures or warrants” shall be substituted

(iii) after existing sub-clause ‘g’, the following shall be inserted, namely:

“h. A declaration from the donee accepting partly paid shares or warrants that donee is aware of the liability as regards calls in arrear and consequences thereof.”

(b). in sub-regulation (b), (c) and (d) for the words, “shares or convertible debentures” the words, “shares or convertible debentures or warrants” shall be substituted.

(B). In the principal Regulations, in Regulation 10B and 10C, for the words, “shares or convertible debentures” and “share or convertible debentures”, wherever they appear, the words, “shares or convertible debentures or warrants” shall be substituted .

8. Amendment to Schedule 1

In the principal Regulations, in Schedule 1,

(a) in the heading , for the words, “equity/preference/convertible preference shares and convertible debentures” the words, “shares or convertible debentures or warrants” shall be substituted ;

(b). for the words, “shares or convertible debentures” and “shares” wherever they appear in (a) in sub-paragraph (1) of Paragraph 1, in sub-paragraphs (1), (2), (3) of Paragraph 2, in sub-paragraphs (i) and (iv) of Paragraph 10, the words, “shares or convertible debentures or warrants” shall be substitute;.

(c). for the existing Paragraph 8 the following shall be substituted, namely:

“8 Mode of payment for shares issued to person resident outside India

A company in India issuing shares or convertible debentures or warrants under this Schedule to a person resident outside India shall receive the amount of consideration for such shares or convertible debentures or warrants-

- (i) by inward remittance through normal banking channels, or
- (ii) by debit to NRE/FCNR (B) account of the person concerned maintained with an authorised dealer/authorized bank, or
- (iii) by debit to a non-interest bearing Escrow account (in Indian Rupees) maintained in India with an AD bank in accordance with Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000,

Explanation: Conversion of Royalty/Lump sum fee due for payment or conversion of ECB, import of capital goods by units in Special Economic Zones, as given elsewhere in the Schedule, shall be treated as consideration for issue of shares within the meaning of this paragraph.

Provided that if the shares or convertible debentures or warrants are not issued within 180 days from the date of receipt of the inward remittance or date of NRE / FCNR (B) /Escrow account, the amount of consideration so received shall be refunded to the person concerned by outward remittance through normal banking channels or by credit to his NRE / FCNR (B) account, as the case may be;

Provided further that the Reserve Bank, may on application made to it and for sufficient reasons permit an Indian company to refund the amount of consideration received towards issue of security, if such amount of consideration is outstanding beyond a period of 180 days from the date of receipt.

Explanation: In case of partly paid equity shares, the period of 180 days shall be reckoned from the date of receipt of each call payment.”

(d). In Paragraph 9,

- i. in sub-paragraph (1) and in clause (A), for the words, “shares or convertible debentures” the words, “shares or convertible debentures or warrants” shall be substituted ;
- ii. the existing Annex C hereto shall be deleted;
- iii. in sub-paragraph (1), in clause (A), for the words, “a report in form specified as Annex C to this Schedule, the words “report in Advance Reporting Form as specified by Reserve Bank from time to time”, shall be substituted;

iv. in sub-paragraph(1) after clause(A), the following shall be added, namely:

Explanation: An Indian company issuing partly paid equity shares, shall furnish a report not later than 30 days from the date of receipt of each call payment.

- v. in sub-paragraph (B), for the words “the date of issue of shares” the words, “ the date of issue of shares or convertible debentures or warrants” shall be substituted;
- vi. in sub-paragraph (B), after the proviso, the following shall be added namely:

“Explanation: An Indian company issuing partly paid shares shall file a report in form FC-GPR to the extent they become paid up.”

9. Amendment to Schedule 2

In the principal Regulations, in Schedule 2, for the words, “shares and/ or convertible debentures”, “shares and convertible debentures”, “share/debentures”, “shares / convertible debentures”, wherever they appear, the words, “shares or convertible debentures or warrants” shall be substituted.

10. Amendment to Schedule 2A

In the principal Regulations, in Schedule 2A, for the words, “shares and/ or convertible debentures”, “shares and convertible debentures”, “share/debentures”, “shares / convertible debentures”, wherever they appear, the words, “shares or convertible debentures or warrants” shall be substituted.

11. Amendment to Schedule 4

In the principal Regulations, in Schedule 4, for the words, “shares/ convertible debentures”, “shares or convertible debentures” wherever they appear, the words, “shares or convertible debentures or warrants shall be substituted.

[No. FEMA. 308/2014-RB]

C. D. SRINIVASAN, Chief General Manager

Foot Note:-The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:—

- G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001
- G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001
- G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001
- G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002
- G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002
- G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003
- G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003
- G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003

G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003
G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003
G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004
G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004
G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004
G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004
G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004
G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005
G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005
G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005
G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005
G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006
G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006
G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007
G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008
G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008
G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009
G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010
G.S.R.No. 821 (E) dated 10.11.2012
G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012
G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012
G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012
G.S.R. No. 945(E) dated 31.12.2012
G.S.R. No. 946(E) dated 31.12.2012
G.S.R. No. 38(E) dated 22.01.2013
G.S.R.No. 515(E) dated 30.07.2013,
G.S.R.No. 532(E) dated 05.08.2013,
G.S.R. No. 341(E) dated 28.05.2013
G.S.R.No. 344(E) dated 29.05.2013
G.S.R. No. 195(E) dated 01.04.2013
G.S.R.No. 393(E) dated 21.06.2013,
G.S.R.No. 591(E) dated 04.09.2013
G.S.R.No. 596(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No. 597(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No. 681(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 682(E) dated 11.10.2013
G.S.R. No. 818(E) dated 31.12.2013
G.S.R. No. 805(E) dated 30.12.2013
G.S.R.No. 683(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 189(E) dated 19.03.2014
G.S.R.No. 190(E) dated 19.03.2014
G.S.R.No. 270(E) dated 07.04.2014
G.S.R.No. 361(E) dated 27.05.2014
G.S.R.No. 400(E) dated 12.06.2014